कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर)

राजकीय मुद्रणालय के पास, गुलाब बाग रोड़, उदयपुर–313001
email: dcf.udprn.forest@rajasthan.gov.inTel. no. & Fax no. 0294-2421962

क्रमांकः एफ( )सर्वे/उवसं–उत्तर/2022–23/ 3677 दिनांकः 19/05/2022

मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

(प्रस्ताव संख्या–FP/RJ/OFC/150256/2021)

विषयः Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY in Samoli, Near Sei Nadi,Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber Gujrat Border in Udaipur North.

प्रसंगः आक्षेप परिवेश फॉरेस्ट क्लियरेंस साईट, नोडल ऑफिस, जयपुर दिनांक 05.05. 2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि यूजर एजेन्सी TELESONIC CONNECTIVITY Ltd. Jaipur द्वारा Samoli, Near Sei Nadi,Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber Gujrat Border तक ऑटिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु इस वनमण्डल को 0.6060 हैक्टर वन भुमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में संशोधन कर **0.909 हेक्टर** (प्रस्ताव संख्या– FP/RJ/OFC/ 150256/2021) इस कार्यालय को प्रस्तुत किये गये है।

इस संदर्भ में प्रस्ताव में संशोधन कर प्रस्ताव को **0.9090 हैक्टर** का तैयार कर आप कार्यालय को प्रेषित किये गये थे जिसके क्रम में नोडल अधिकारी, जयपुर द्वारा लगाये गये आक्षेपो का प्रत्युत्तर तैयार कर व कमियो को दुरस्त कर प्रस्ताव 04 प्रतियो में गजट नॉटिफिकेशन संलग्न कर निम्नानुसार प्रेषित है–

1. प्रस्ताव में युजर एजेन्सी द्वारा **0.909 हेक्टर** का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, प्रत्यावर्तन होने वाले क्षेत्र का स्वयं अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा मौका निरिक्षण किया गया है तथा उक्त ऑटिकल फाईबर केबल वनखण्ड़ कुकावास, कागवास व मामेर में से सडक के किनारे–किनारे होकर गुजरेगी अर्थात में से होकर गुजरेगी, जिसमें कुल 0.909 हेक्टर वनक्षैत्र प्रभावित होता है।
2. उक्त ऑटिकल फाईबर केबल वनखण्ड़ कुकावास, कागवास व मामेर में से सडक के किनारे–किनारे होकर गुजरेगी जिनके वनखण्ड़ गजट नॉटिफिकेशन कि 4 प्रतियॉ संलग्न है।

अतः मुल ही प्रस्ताव में उक्तानुसार आक्षेपो को पुर्ण कर कुल 0.909 हैक्टर का प्रस्ताव ऑनलाईन अग्रेषित करने के उपरान्त 4 प्रतियों में गजट नॉटिफिकेशन संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हैतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार 4 प्रतियो में गजट नॉटिफिकेशन।

भवदीय

(ड़ी. के. तिवारी)
उप वन संरक्षक,
उदयपुर (उत्तर)

वनखण्ड - [illegible]

राजस्व विभाग

विज्ञप्ति

(धारा 20 के अधीन)

[illegible] (handwritten number, struck through)

दिनांक 24.10. [illegible]

[illegible] कि विज्ञप्ति संख्या [illegible] दिनांक [illegible]
[illegible] सी हुई भूमि को राजस्थान वन अधिनियम (1953 का अधिनियम संख्या 13) के अधीन आरक्षित वन के रूप [illegible] ये जाने का प्रस्ताव किया गया था ;

[illegible] ौर चूंकि इन भूमियों पर अधिकारों के बारे में अभियाचनायें प्रस्तुत करने की अवधि जो निर्धारित की गई, व्यतीत [illegible] और समस्त प्रस्तुत अभियाचनायें, यदि हों, निपटा दी गई हैं ;

[illegible] ौर चूंकि उपर्युक्त अभियाचनाओं पर पारित आदेशों के विरुद्ध अपील पेश करने की अवधि व्यतीत हो चुकी है और [illegible] में प्रस्तुत की गई अपीलें निपटा दी गई हैं ;

और चूंकि प्रस्तावित वन में सम्मिलित किये जाने के लिये अवाप्त की गई समस्त भूमियां, यदि हों, अनिवार्य अवाप्ति [illegible] अधीन सरकार में निहित हो गई हैं।

अत: [illegible] राजस्थान वन अधिनियम, [illegible] की धारा [illegible] द्वारा प्रदत्त [illegible] के प्रयोग [illegible]
[illegible] उक्त भूमि को [illegible] से प्रभाव से [illegible] आरक्षित वन [illegible]
[illegible] करती है और [illegible] अधिकारी को [illegible]
[illegible] में उल्लिखित [illegible] अधिकार [illegible] में उल्लिखित [illegible]
[illegible] राज्य सरकार [illegible]
[illegible] पर निर्धारित [illegible] राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव।

भूमि का विवरण

[illegible]ला	तहसील	पट्टी या वन-खण्ड	मौजा	क्षेत्रफल वन-खण्ड या मौजा एकड़ों में	विशेष विवरण
[illegible]	[illegible]	[illegible]	१) [illegible]	[illegible]	[illegible]
			२) [illegible]	[illegible]	[illegible] (३) [illegible]
			३) [illegible]	[illegible]	
सच्ची प्रतिलिपि			४) [illegible]	[illegible]	
			५) [illegible]	[illegible]	
			६) [illegible]	[illegible]	
			७) [illegible]	[illegible] ([illegible])	
[illegible]			८) [illegible]	[illegible]	
[illegible]			९ [illegible]	[illegible]	
[illegible] उदयपुर ([illegible])			१०) [illegible]	[illegible]	
			११) [illegible]	[illegible]	
			१२) [illegible]	[illegible]	उपवन संरक्षक उदयपुर (उत्त. [illegible])
			१३) [illegible]	[illegible]	
			१४) [illegible]	[illegible]	

9.ख. - कागवास

राजस्व विभाग (क)

विज्ञप्ति

क्रमांक ६०१८ एफ १५(२)रे०ए०५८ .... दिनांक ११-८-५८ ....

चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची मे वतलाई गई वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज उसके किसी भाग की हकदार है;

और चूंकि सरकार पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है;

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है;

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में अथवा उन पर सरकार अथवा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्द्वारा वन बन्दोवस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोवस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकार या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिये नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन, जहां तक व्यवहार्य हो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 14, 17, 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्द्वारा कथित वन-भूमि और बंजर-भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्त्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियो के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते हैं और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना, या चुना या कोयला बनाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिये या मकान बनाने के लिये या पशु पालन के लिये अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिये तोड़ा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर-भूमि)
द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

ह०
राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव।

प्रथम अनुसूची

संख्या	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण
१	कागवास	कोटडा	उदयपुर	उत्तर:-	सरहद [illegible] मामोली व कागवास
				दक्षिण:-	गुजरात प्रान्त सिमाना.
				पूर्व :-	सेई नदी, मगरिमा, ओरडी, कोटडा से स्वरूपगंज जाने वाली सड़क.
				पश्चिम:-	माण्डवा नदी, वाल्ती, गुजरात प्रान्त

राजस्थान राजपत्र दिनांक १९-८-५८ भाग १(ख) पृष्ठ २६१ से २६८ तक मे प्रकाशित

3

उपवन संरक्षक
उदयपुर (उत्तर)

बी.एफ.-मामेर

विज्ञप्ति

(धारा २० के अधीन)

संख्या —— दिनांक सन्

चूंकि विज्ञप्ति संख्या पमन २४(२००)रेवे०४३-१२१८८ दिनांक २-२-५४ द्वारा नीचे लिखी हुई भूमि को राजस्थान वन अधिनियम (१९५३ का अधिनियम संख्या १३) के अधीन आरक्षित वन के रूप में गठित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था।

और चूंकि इन भूमियों पर अधिकारों के बारे में अधियाचनायें प्रस्तुत करने की अवधि जो निर्धारित की गई, व्यतीत हो चुकी है और समस्त प्रस्तुत अधियाचनायें, यदि हों, निपटा दी गई हैं।

और चूंकि उपर्युक्त अधियाचनाओं पर पारित आदेशों के विरुद्ध अपील पेश करने की अवधि व्यतीत हो चुकी है और इस अवधि में प्रस्तुत की गई अपीलें निपटा दी गई हैं।

और चूंकि प्रस्तावित वन में सम्मिलित किये जाने के लिये अवाप्त की गई समस्त भूमियां, यदि हों, अनिवार्य प्रवाप्ति कानून के अधीन सरकार में निहित हो गई हैं।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा २० द्वारा प्रदत्त शक्तियो के प्रयोग मे राज्य सरकार उक्त भूमी को दिनांक से प्रभाव रखते हुवे आरक्षित वन घोषित करती है जो इस प्रावधान के अधिन है कि निचे लिखे गये गाव अधिकारी की संक्षिप्त सूचि(१) मे उल्लेखित सीमा तक अधिकार रखते रहेंगे व संक्षिप्त सूचि(२) मे उल्लेखित सीमा तक ऐसे मोसमो मे उक्त वन के ऐसे भागो मे तथा ऐसे नियमो के अधिन जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किये जावे रिआयतो का उपभोग करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से

शासन सचिव।

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	पट्टी या वन-खंड	मौजा	क्षेत्रफल वन-खंड या मौजा एकड़ों में	विशेष विवरण
उदयपुर	कोटडा	मामेर पार्ट बी भाग १,२,३.	मामेर पार्ट बी भाग १		
			नाकोला	१८९.६२	सीमारेखा विवरण परिशिष्ट(अ) संलग्न है
			हसरेटा	१२१.९४	
				३११.५६ एकड़	
			मामेर पार्ट बी भाग २		
			नाकोला	७.८५	
			ढेरी	७२.०१	
			आसेला	११०.४२	
			मामेर	५५.६०	
				२४५.८८ एकड़	
			मामेर पार्ट बी भाग ३		
			मामेर	७१.२२	
			मोरखूणा	१९.९२	
				९१.१४ एकड़	
			कुल योग	६४९.३८ एकड़	
			अर्थात १.०१ व०मी०		

उपवन संरक्षक उदयपुर (उत्तर)